राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

फोन नं: 0141–2701822

क्रमांकः–रा.स्कूल.शि.प / जय / संस्था / 2018–19 / 8688 दिनांक 18/7/18

जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा,
समस्त जिले।

विषयः–बेशी / अप्रचलित / अनुपयोगी सामान निस्तारण बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजकीय उच्च माध्यमिक / माध्यमिक एवं प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सामान्य भण्डार / परीक्षा प्रभारी भण्डार / खेलकूद भण्डार, विज्ञान लैब भण्डार आदि कमरों में बेशी / अप्रचलित / अनुपयोगी सामान के कारण छात्र / छात्राओं के बैठने के स्थान में असुविधा के साथ–साथ शैक्षिक वातावरण में भी असुविधा हो रही है। विभिन्न अंकेक्षण प्रतिवेदन / उच्च अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान ऐसे सामानों के निस्तारण की टिप्पणी के बावजूद अपेक्षित कार्य की प्रगति नहीं हो रही है।

विभाग ने बेशी / अप्रचलित / अनुपयोगी सामान अभियान के रूप में निस्तारण का निर्णय लिया है अतः अभियान समयबद्ध रूप से निम्न चरणों में पूर्ण किया जाये :–

क्र.सं.	कार्य	अवधि
1	सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–।। के नियम 12–14 के अन्तर्गत भौतिक सत्यापन।	30 जुलाई, 2018 तक
2	भौतिक सत्यापन के पश्चात् बेशी / अप्रचलित / अनुपयोगी सामान की भण्डारवार अलग सूची सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–।। के फार्म एस.आर.5 व 6 में भण्डार प्रभारी व संस्था प्रधान के हस्ताक्षर सहित तैयार कर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।	20 अगस्त, 2018
3	जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर से सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–।। के नियम अन्तर्गत सर्वे के लिये समिति गठित कर सर्वे रिपोर्ट तैयार करायेगे।	30 अगस्त, 2018
4	जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–।। के नियम 16–17 के अन्तर्गत सर्वे रिपोर्ट के आधार पर सामान बेशी / अप्रचलित / अनुपयोगी घोषित करने के सक्षम स्तर से आदेश जारी करायेंगे।	15 सितम्बर, 2018
5	सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–।। के नियम 22 के अन्तर्गत निस्तारण हेतु समिति गठित की कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर की जायेगी।	लगातार
6	सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–।। के नियम 25 के अन्तर्गत व्यापक प्रचार–प्रसार कर नीलामी की कार्यवाही करेंगे।	लगातार
7	उपरोक्त चरणबद्ध कार्यवाही करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के वरिष्ठतम लेखाकर्मी को समन्वयक नियुक्त कर उसका नाम, पद व मोबाईल नं. से निम्न हस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें।	30 सितम्बर, 2018

www.rajteachers.com

अतः आप सभी को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त तालिका अनुसार अपने–अपने जिलों में गम्भीरतापूर्वक बेशी/अप्रचलित/अनुपयोगी सामान निस्तारण की प्रक्रिया को छात्र हित, विद्यालय हित एवं राज्य हित में समयानुसार सम्पन्न करवा कर कार्य को पूर्ण करें। पोर्टल पर स्थित बेशी/अप्रचलित/अनुपयोगी सामान निस्तारण मॉडयूल में जिलों की सूचना फीड करें।

www.rajteachers.com

(सुरेश चन्द्र)
अति. राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांकः–रा.स्कूल.शि.प/जय/संस्था/2018–19/3689 दिनांक 18/7/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. सम्बन्धित जिला प्रभारी (उप निदेशक/सहायक निदेशक) को देकर लेख है कि उपरोक्तानुसार जिलों की मॉनिटरिंग कर बेशी/अप्रचलित/अनुपयोगी सामान निस्तारण कार्य सम्पन्न करावें।
5. रक्षित पत्रावली।

अति. राज्य परियोजना निदेशक